रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

## असाधारण
## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 518] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 21, 1981/कार्तिक 30, 1903

No. 518] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 21, 1981/KARTIKA 30, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

### उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

**आदेश**

नई दिल्ली 21 नवम्बर 1981

का० आ० 821 (अ) 18एए/आईडीआरए/81 --मैसर्स मोहिनी मिल्स लिमिटेड बेलघरिया पश्चिम बंगाल (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) एक अनुसूचित उद्योग अर्थात् सूती टेक्सटाइल उद्योग मे लगा हुआ है

और केन्द्रीय सरकार के कब्जे मे दस्तावेजो और अन्य साक्ष्य से, उक्त औद्योगिक उपक्रम के संबंध मे उस का यह समाधान हो गया है कि यह कम से कम तीन मास की अवधि के लिए बन्द कर दिया गया था और ऐसी बन्दी सम्बद्ध अनुसूचित उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली थी तथा उक्त औद्योगिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति और उक्त औद्योगिक उपक्रम के संयंत्र तथा मशीनरी की स्थिति ऐसी थी कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को पुनः चालू किया जाना संभव था और इस प्रकार पुनः चालू किया जाना लोकहित मे आवश्यक था,

और उक्त औद्योगिक उपक्रम को एक सूचना (जिसे इसमे इसके पश्चात् कारण बताओ सूचना कहा गया है) जारी की गई थी जिसमे उक्त औद्योगिक उपक्रम द्वारा कारण बताओ सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर कारण बताए जाने की अपेक्षा की गई थी कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के सम्पूर्ण उपक्रम का उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन, प्रबन्धग्रहण क्यो न कर लिया जाए

और लोकहित मे यह आवश्यक था कि कारण बताओ सूचना के जारी किए जाने और उसके उत्तर की प्राप्ति और उस पर विचार किए जाने के लंबित रहने तक उक्त सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का तुरन्त प्रबन्ध-ग्रहण कर लिया जाए

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 767 (अ) तारीख 23 अक्तूबर, 1981 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त प्रबन्धग्रहण आदेश कहा गया है, द्वारा नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन, सूर्य किरण बिल्डिंग कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली (जिसे इसमे इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), को केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्धग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और तदनुसार उक्त औद्योगिक उपक्रम का 24 अक्तूबर 1981 को प्रबन्ध ग्रहण कर लिया गया था,

और श्री एस० के० पाल, सोलिसिटर और अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, कलकत्ता का उनके मुवक्किल मैसर्स मोहिनी मिल्स लिमिटेड, जिनका मुख्य कार्यालय नं० 22 बिप्लवी रास बिहारी बसु रोड, कलकत्ता पर है, की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

और उक्त अभ्यावेदन की केन्द्रीय सरकार द्वारा परीक्षा कर ली गई है,

और उक्त अभ्यावेदन की परीक्षा करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के प्रबंध को लगातार ग्रहण करने के लिए उक्त स्थितियां अभी तक विद्यमान हैं;

अत:, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त प्रबंधग्रहण आदेश 22 नवम्बर, 1981 से प्रारम्भ होने वाली और 6 मास की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

[सं० 3/5/81 सीयूएस]

**MINISTRY OF INDUSTRY**

**(Department of Industrial Development)**

ORDERS

New Delhi, the 21st November, 1981

**S.O. 821(E)/18AA/IDRA/81.**—Whereas Messrs Mohini Mills Ltd., Belgharia, West Bengal (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) is engaged in a scheduled industry, namely, the cotton textiles industry;

And whereas from the documentary and other evidence in its possession, the Central Government was satisfied in relation to the said industrial undertaking that it had been closed for a period of not less than three months and such closure was prejudicial to the concerned scheduled industry and that the financial condition, and the condition of the plant and machinery, of the said industrial undertaking were such that it was possible to restart the said industrial undertaking and that such restarting was necessary in the interests of the general public ;

And whereas a notice (hereinafter referred to as the show cause notice) was issued to the said industrial undertaking for requiring the said industrial undertaking to show cause, within a period of fifteen days from the date of receipt of the show cause notice by the said industrial undertaking, why the management of the whole of the said industrial undertaking should not be taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951);

And whereas it was considered necessary in the interests of the general public to take over immediately the management of the whole of the said industrial undertaking pending the issue of, and the receipt of the reply to, the show cause notice and the consideration thereof;

And whereas by Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 767(E) dated the 23rd October, 1981 (hereinafter referred to as the said Order of take over) the *National Textile Corporation, Surya Kiran Building, Kasturba* Gandhi Marg, New Delhi (hereinafter referred to as the authorised person) was authorised by the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) to take over the management of the whole of the said industrial undertaking and the management of the industrial undertaking was accordingly taken over on 24th October, 1981.

And whereas a representation has been received from Shri S. K. Patra, Solicitor and Advocate, High Court, Calcutta on behalf of his clients M/s. Mohini Mills Ltd. having its registered office at No. 22 Biplabi Rash Behari Basu, Road, Calcutta;

And whereas the said representation has been examined by the Central Government;

And whereas after examining the said representation the Central Government is satisfied that the said conditions still exist for continued take over of the management of the said industrial undertaking;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 18AA of the said Act, the Central Government directs that the said order of take over shall continue to have effect for a further period of six months commencing from the 22nd November, 1981.

[F. No. 3/5/81-CUS]

का०आ० 822(अ)/18चख/आई डी आर ए/81.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० 783 क.० आ०(अ)/18चख/आई डी आर ए/81 तारीख 2 नवम्बर, 1981 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) जिनका मैसर्स मोहिनी मिल्स लिमिटेड, बेलघरिया नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों, प्रवर्तन 21 नवम्बर, 1981 तक की अवधि के लिये, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिये निलम्बित रहेंगे ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 6 मास की अवधि के लिये और बढ़ा दी जानी चाहिये ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि, 21 मई, 1982 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा०सं० 3(5)/81-सी०यू०एस०]

सी०के० मोदी, संयुक्त सचिव

**No. 822(E)/18FB/IDRA/81.**—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 783(E)/18FB/IDRA/81 dated the 2nd November, 1981 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all or any of the contracts assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs. Mohini Mills Ltd., Belgharia, is a party on which may be applicable to the said industrial undertaking, shall remain suspended upto and inclusive of 21st November, 1981, and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said order should be extended for a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extend the duration of the said order upto and inclusive of the 21st May, 1982.

[F. No. 3(5)/81-CUS]
C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981